[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 5/2022-सीमाश्ल्क (एडीडी)

नई दिल्ली 1 फरवरी, 2022

सा.का.िन. ..... (अ)- सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षिति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पिठत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 54/2018-सीमाशुल्क (एडीडी), तारीख 18 अक्टूबर, 2018 जो सं. सा.का.िन. 1045 (अ), तारीख 18 अक्टूबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था को निरित्तत, ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा करने से लोप की गई बातों को छोड़ते हुए, करती है।

[फा.सं. 334/01/2022-TRU]

(नितिश कर्नाटक) अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण :- मूल अधिसूचना, संख्यांक 54/2018-सीमा-शुल्क (एडीडी) तारीख 18 अक्टूबर, 2018 संख्यांक सा.का.िन. 1045(अ), तारीख 18 अक्टूबर, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक 55/2021 सीमा-शुल्क (एडीडी) तारीख 30 सितंबर, 2021 द्वारा अंतिमबार संशोधित की गई थी जो संख्यांक सा.का.िन. 681(अ), तारीख 30 सितंबर, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी।